विधान परिषद् के तृतीय सत्र-2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद् के द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1 (क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम लखनऊ के अन्तर्गत सी- ब्लाक सेक्टर-10 व 13 के मध्य टयूबवेल नम्बर-10 के पास दर्जनों ट्रक पार्क के चारों ओर अवैध रूप से सायं 04:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक खड़े कर ट्रकों का स्टैण्ड बना दिया गया है तथा पार्क की बाउण्ड्री छतिग्रस्त कर दी गयी है?	संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), लखनऊ के निर्देशानुक्रम में यात्रीकर अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.11.2023 को आवास विकास कॉलोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ के अन्तर्गत सी-ब्लाक, सेक्टर-10 व 13 के मध्य ट्यूबवेल के आस-पास के प्रश्नगत स्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थान पर न तो कोई भी व्यावसायिक वाहन खड़ा पाया गया और न ही उक्त मार्ग पर कोई जाम की स्थिति दिखायी दी।
(ख) क्या पार्क में टहलने आने वाली जनता एवं आस-पास के निवासियों तथा स्कूल जाने वाले छात्रों को आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है?	उक्त निरीक्षण/जांच के समय प्रश्नगत स्थान के पास यातायात प्रवाह में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं पाया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में वाहनों के अवैध संचालन के विरूद्ध नियमित प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। फलस्वरूप प्रश्नगत क्षेत्र के निवासियों/छात्रों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं है।
(ग) क्या जनहित में आवासीय परिसर में खडे हो रहे ट्रकों को प्रवर्तन अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम गठित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कराते हुए स्थायी समाधान करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) क्या शासन द्वारा अवैध रूप से आवासीय परिसर में खडे किये जा रहे ट्रक/ मेंटाडोर की जॉच कराकर ट्रक संचालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से खडे किये जा रहे ट्रकों को हटाये जाने हेतु नियमित साप्ताहिक जॉच कराकर प्रवर्तन	वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना, बाल विकास पुष्टाहार एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न का उठान भारतीय खाद्य निगम डिपो, तालकटोरा, लखनऊ से सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जाता है। उपरोक्त खाद्यान्नों को जनपद-लखनऊ के विभिन्न स्थानों में

अधिकारियों/स्थानीय पुलिस की टीम का गठन कर कार्यवाही कराते हुए अवैध रूप से खडे किये जा रहे ट्रकों को हटाये जाने हेतु प्रवर्तन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए नियमित जॉच कराते हुए पुनः ट्रकों का ठहराव न हो कार्यवाही करायेंगे?	लाने व ले जाने में लगे वाहनों को प्रतिबंधित समय में लखनऊ शहर में आवागमन हेतु पुलिस उपायुक्त, यातायात, लखनऊ के अनुमति पत्र दिनांक 09.11.2023 द्वारा कुल 58 वाहनों को दिनांक 10.11.2023 से 09.12.2023 तक इस हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। फलस्वरूप प्रश्नगत कार्यवाही का अवसर नहीं है।
(ड.) यदि हॉ, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता है।
(च) यदि नहीं तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग